

08/01/2020 परावली पेशा दुर्ग/ वकील डावरी अस्थितकधी।  
वकील डावरी को आवाजे लगारे गयी। स्वयं  
डावरी को आवाजे लगारे गयी। दायि  
नही है। लिखाजा डावरी पर डावरी वकील  
डावरी की आप्त धरये आप्त धरये  
में खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय  
कार्य जारी अखबार निवेदन दिनांक  
20.02.2019 को निरस्त किया जाता  
है। परावली फौजदारी में शुमार होकर मूल  
वाड को लपक रहे।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)  
रायसिंहनगर

